

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खूटला सलौना

आवेदक:- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

आवेदक का पता: मेना निवासी ग्राम खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी

---वादी

बनाम

आवेदक का पता: मेना निवासी खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी

आवेदक का पता: मेना निवासी खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी

आवेदक का पता: मेना निवासी खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी

आवेदक का पता: मेना निवासी खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी

आवेदक का पता: मेना निवासी खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी

आवेदक का पता: मेना निवासी खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी

आवेदक का पता: मेना निवासी खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी

आवेदक का पता: मेना निवासी खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी

---प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

आदेश संख्या - 138/2005

आवेदक का पता से वादी गिर्राज के पुत्र भरत व राजू की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी के पता से उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 18.5.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत) के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री जारी नही है।

आवेदक अदालत में पेशकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वाद खारिज किया जाता है।

आवेदक को अपना अपना वहन करेगे।

आवेदक तारीख 18.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी




 बाबूलाल जाट
 उपखंड अधिकारी
 गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
अर्जी के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
आदेशिका की तामील		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	